भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 5114
सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक)

मीडिया, कारखानों, उद्योगों, मॉल में नौकरियां

5114. श्री मलूक नागरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 के दौरान कंपनियों, कारखानों, उद्योगों, मॉल, बाजारों आदि में कार्यरत बेरोजगार हुए कर्मचारियों और चिकित्सा कर्मियों को नौकरी प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उनके संरक्षण के लिए एक नया कानून लाने और उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने अभी तक पूरा वेतन नहीं पाने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के लिए कोई कानून बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति बना रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है। 26.03.2022 तक 1.38 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 54.67 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा हों।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत संकेन्द्रण के साथ रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन के 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है,जो कि 90 दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है।

संसद द्वारा चार संहिताए जैसे मजदूरी संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यकारी दशाएं संहिता; औद्योगिक संबंध संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता पारित की गई हैं। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी कामगारों को समय पर मजदूरी का भुगतान, नियुक्ति पत्र का प्रावधान, और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी प्रावधान की परिकल्पना की है ताकि कामगारों के लिए एक विशाल सुरक्षा कवच सुनिश्चित किया जा सके।

मजदूरी संहिता, 2019, संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी और फ्लॉर मजदूरी हेतु प्रावधान करती है तथा इस संहिता द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की प्रयोजनीयता को प्रतिबंधित करने के मौजूदा प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यह संहिता केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य क्षेत्र में लागू न्यूनतम मजदूरी को तय करने का आदेश देता है। यह संहिता निर्धारित करती है कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें फ्लॉर मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए। मजदूरी संहिता, 2019 के उक्त प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

*****